

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर - 302005

क्रमांक :- एफ.2(ग)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/1791

दिनांक :- 12/03/2026

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र.सं.	लिंक नं०	नाम सर्व श्री	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य के कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	9230	श्री जयसिंह, सलेअ-।	विकास अधिकारी, पंचायत समिति पंचायती राज विभाग, बुहाना	उपकोषालय, बुहाना (झुंझुनू)	जिला कलक्टर, झुंझुनू के ओदश क्रमांक 584 दिनांक 09.07.2026 का अनुमोदन
2.	12548	श्री सुल्तान सिंह मीना, सलेअ-।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त (WORK PLAN & FORESTATION), जयपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), राज0 जयपुर के ओदश क्रमांक 387-93 दिनांक 24.02.2026 का अनुमोदन
3.	11227	श्री रूपचन्द मीना, सलेअ-।	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् झालावाड	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, मिनी सचिवालय, झालावाड	श्री सुनील कुमार भारती, सलेअ-।। के स्थान पर

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

दरेश
12/3/2026
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/1791

दिनांक :- 12/03/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के क्रम में तुरंत अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर इस निदेशालय को अविलंब अवगत करावें।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

लखमत
(लखमत मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)